न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

([illegible])

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 173/2023

बनवारी लाल पुत्र श्री गुलजारा राम उर्फ गुलजार सिंह जाति सिंह जाति कुम्हार निवासी वी. पी.ओ. चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री गुलजारा राम उर्फ गुलजार सिंह जाति कुम्हार निवासी वी.पी. ओ. चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. साधु सिंह पुत्र श्री गुलजारा राम उर्फ गुलजार सिंह जाति कुम्हार निवासी वी.पी. ओ. चक महाराजका तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ।
4. यूको बैंक शाखा श्रीगंगानगर ।
5. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा साधुवाली, श्रीगंगानगर ।

दावा अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभापकगण ::–

1. श्री विक्रम विश्नोई	वादी
2. श्री पंकज उपवेजा	प्रतिवादी संख्या 4
3. पैरोकार राज श्रीगंगानगर	प्रतिवादी संख्या 3

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 04.04.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि चक 1 एम. एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के जमाबन्दी सम्वत् 2062 के खाता संख्या 20/20 के मुरब्बा नं. 13 व 14 में कुल तादादी 4.631 हैक्टयर नहरी मय खाला वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता गुलजार सिंह पुत्र श्री गुरमुख सिंह जाति कुम्हार निवासी चक 1 एम. एल. कालूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की खातेदारी भूमि थी जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त गुलजार सिंह के नाम चली आ रही थी। वादी व प्रतिवादी सं. 1व 2 के पिता श्री गुलजार सिंह ने अपनी उपरोक्त पैरा सं. 2 में वर्णित कुल कृषि भूमि 4.631 हैक्टयर की एक वसीयत दिनांक 18–09–2006 को अपनी खुशी व अपनी स्वेच्छा से स्वस्थ चित व सोच–समझकर वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में एक वसीयत बरोबरू गवाहान निष्पादित कर उस पर दो हास्या गवाह के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर अपने सामने व एक दूसरे के सामने वसीयत पर कर दिये थे और वसीयत का निष्पादन कर दिया था । वसीयत की फोटो प्रति वाद पत्र के संलग्न प्रतिवारी से हैं। असल वसीयत साक्ष्य के समय प्रस्तुत करायी जायेगी । वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता गुलजार सिंह ने अपनी उक्त सम्पति की वसीयत दिनांक 18–09–2006 को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में करने में उपरोक्त कुल भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को समान भागों में विभाजित करते हुए वादी व प्रतिवादी

(अधिकारी (राजस्व))

Scanned with CamScanner

संख्या 1 व 2 को अलग अलग विशिष्ट किला नम्बर का हवाला देते हुए अपनी भूमि की वसीयत अपने तीनों पुत्रों को अलग अलग किला नम्बर दर्ज करते हुए दे दी थी । वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वसीयत से जो अलग अलग किला नम्बर से भूमि दी थी, उसका विवरण नीचे अंकित किया जा रहा है।

वादी बनवारी लाल को वसीयत से दी गई भूमि:–

चक 1 एम.एल. के मुरब्बा नं. 13 के किला नं. 21 सालम, किला नं. 20 का 4 बिस्वा, मुरब्बा नं. 14 के किला नं. 5, 6, 15, 16 प्रत्येक सालम, किला नं. 25 में 18 बिस्वा कुल भूमि 6 बीघा 2 बिस्वा अर्थात 1.543 हैक्टयर नहरी मय खाला ।

ब- प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश को वसीयत से दी गई भूमि :–

चक 1 एम. एल. के मुरब्बा नं. 13 के किला नं. 13 की 4 बिस्वा, किला नं. 14 की 18 बिस्वा, किला नं. 15, 16, 17, 24, 25 प्रत्येक सालम कुल भूमि 6 बीघा 2 बिस्वा अर्थात् 1.5444 हैक्टयर नहरी मय खाला ।

प्रतिवादी संख्या 2 साधु सिंह को वसीयत से दी गई भूमि : –

चक 1 एन.एल. के मुरब्बा नं. 13 के किला नं. 20 की 6 बिस्वा, किला नं. 11 की 10 बिस्वा, किला नं. 12 की 10 बिस्वा, किला नं. 13 की 6 बिस्वा, किला नं. 18, 19, 22, 23 प्रत्येक सालम कुल भूमि 6 बीघा 2 बिस्वा अर्थात् 1.544 हैक्टयर नहरी मय खाला।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त वसीयत के आधार पर ऊपर वर्णित पृथक–पृथक किलेजात के हिसाब से अपने अपने किलाजात के खातेदार हो चुके है। प्रतिवादी साधु सिंह ने वसीयत से प्राप्त भूमि मुरब्बा नं. 13 के किला नं. 20 की 16 बिस्वा में अपनी रिहायशी ढ़ाणी बना रखी हैं परन्तु वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता का देहान्त के उपरान्त वादाधीन भूमि का इंतकाल वसीयत के आधार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा न करवाये जाने से भूमि का विरास्तन इंतकाल होकर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तीनों के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गयी हैं जबकि तीनों पक्षकार वसीयत से अलग अलग किलों के खातेदार हैं। इस कारण वादी वसीयत के आधार पर किलों के लिहाज से खातेदारी अधिकारी की घोषणा करवाने का अधिकारी हैं। 6. यह कि उक्त भूमि कागजात माल जमाबन्दी में संयुक्त दर्ज होने की स्थिति में यदि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वसीयत से मिले पृथक–पृथक किलों के तीनों पक्षकारो को खातेदार घोषित करना मुनासिब न समझा जावें जो स्वीकार नहीं तो उस सूरत में वादी उपरोक्त कृषि भूमि वाले चक 1 एम.एल. के मुरब्बा नं. 13 व 14 के 4.631 हैक्टयर कागजात माल में संयुक्त रूप से दर्ज होने से कब्जानुसार विभाजन, रेन्ट का वितरण करवाने का अधिकारी व दावेदार हैं। वादाधीन उपरोक्त भूमि के संयुक्त चली आने से वादी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। भूमि के संयुक्त होने से इसके पानी के वितरण व लगान व आबियाना का भी विवाद रहता हैं। भूमि संयुक्त होने से भूमि की पैदावार को समर्थन मूल्य पर विक्रय करने में भी कठिनाई रहती हैं व भूमि सुधार व इस पर ऋण सुविधा प्राप्ति में भी काफी असुविधा रहती हैं। ऐसी सूरत में उक्त भूमि का विभाजन व रेन्ट का वितरण करवाने मे तमाम हिस्सेदारों को लाभ है और वादी उक्त भूमि का विभाजन व रेन्ट वितरण का वाद लाने का हकदार है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से भूमि का आपस में सहमति से वसीयत के आधार पर विभाजन करवाने व इस हिसाब से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का भी कई बार कहा परन्तु प्रतिवादीगण ने वादी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अन्त में दिनांक 20–07–2023 को ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया हैं। यही वाद कारण हैं। वाद वादी कृषि भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं संयुक्त भूमि दर्ज होने से इसके विभाजन व रेन्ट वितरण का दावा प्रस्तुत किया जा रहा हैं। भूमि वाके चक 1 एम.एल. माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित हैं। वाद वादी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो अन्दर अवधि

अधिकारी (राजस्व)
गंगानगर

Scanned with CamScanner

...आवश्यक पक्षकार प्रस्तुत है। 10. यह कि राजस्थान सरकार भूमि की मालिक है व प्रतिवादी संख्या 4 व ... भूमि के पक्षकार है इसलिए उन्हें प्रतिवादी पक्षकार बनाया जा रहा है अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-

तरमीम दिनांक 18.09.2006 के अनुसार वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में दिये गये विवरण अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तीनों को मिले पृथक पृथक किला नम्बर के लिहाज से उक्त भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का पृथक पृथक खातेदार घोषित किया जावे।

उपरोक्त प्रकार से घोषणा की डिक्री पारित न हो सकने पर कागजात में दर्ज इस संयुक्त भूमि का प्रत्येक पक्षकार में सम भागों में विभाजन की डिक्री पारित की जावे।

प्रत्येक पक्षकार के हिस्से में बंटवारे में आने वाली भूमि का उसी हिसाब से कब्जा दिलाया जावे।

रेन्ट का वितरण किया जावे।

अन्य कोई अनुतोष जो न्यायसंगत व वादी के हित में हो प्रदान किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2, 5 की विधिवत तामील होने पश्चात् प्रतिवादीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 4 को द्वारा जवाब दावा पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी प्रतिवादी 4 के द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 4 बंद किया गया।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा स्टेट जवाब पेश किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण वकील द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि प्रकरण में प्रस्तुत तरमीम दिनांक 18.09.2006 के अनुसार वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में दिये गये विवरण अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तीनों को मिले पृथक पृथक किला नम्बर के लिहाज से उक्त भूमि का तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्रस्ताव मंगवाया जावे। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय दस्तावेजात एवं जमाबंदी साम्वत 2075-2076 चक 1 एमएल, पटवार हल्का चकमहाराजका, भू.अ.नि.क्षेत्र. चकमहाराजका, तहसील श्रीगंगानगर खाता संख्या 61/17 एवम् वाद में प्रस्तुत दस्तावेज तरमीम की फोटो प्रति का अवलोकन किया गया। वादीगण तरमीम दिनांक 18.09.2006 के अनुसार भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी पाये जाने पर वाद वादीगण प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए क्रमांक 7029 दिनांक 19.12.2024 के विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में वकील वादीगण द्वारा अनापत्ति जाहिर करते हुए मुताबिक प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

|| आदेश ||

वाद वादीगण मुताबिक तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाकर वाद निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :-

क्र.सं.	खातेदार	रकबा का विवरण
1	बनवारी लाल पुत्र गुलजारा राम	चक 1 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 61/17 के मुरब्बा नं. 13 के किला नं. 21(0.240 हैक.), 20(0.050 हैक.), कुल 0.290 हैक्टर

[illegible]
...धिकारी (राजस्व)
...गंगानगर

([illegible]
राजस्व वाद संख्या – 417/2025)

	एवम् मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 5-6-15-16/1(0.012), 25(0.228) कुल 1.240 हैक्टेयर यानि कुल 1.519 हैक्टेयर
ओमप्रकाश पुत्र गुलजारा राम	चक 1 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खसरा संख्या 61/17 के मुरब्बा नं. 13 के किला नं. 13(0.051 हैक्ट.),14/1(0.228 हैक्ट.),, 15-16-17(0.759), 24(0.241), 25(0.241) कुल 1.519 हैक्टेयर
साधु सिंह पुत्र गुलजारा राम	चक 1 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खसरा संख्या 61/17 के मुरब्बा नं. 13 के किला नं. 20(0.203 हैक्ट.), 11/2(0.127 हैक्ट.),12/2(0.128हैक्ट.), 13(0.076हैक्ट.), 18-19(0.506 हैक्ट.) 22(0.241), 23(0.240हैक्ट.), कुल 1.519 हैक्टेयर
बनवारी लाल, ओमप्रकाश, साधुसिंह पिसरान गुलजारा राम(ब.हि.ब.)	चक 1 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खसरा संख्या 61/17 के मुरब्बा नं. 13 के किला नं. 21(0.013 हैक्ट.), 22(0.012 हैक्ट.), 23(0.013हैक्ट.), 24(0.013हैक्ट.), 25(0.012 हैक्ट.) कुल 0.063 हैक्ट. सांझा घरेलू रास्ता

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 04.04.2025 को जारी किया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर